

सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रारूप

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन)

अधिसूचना संख्या:-

दिनांक:-

चूँकि झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - बेन्दोजोर , थाना न0 - 38, थाना - सिमडेगा, अंचल- सिमडेगा, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना - सिमडेगा से सेवई - किनकेल - कुरडेग - कुटमाकच्छार - छत्तीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (वर्ष 2009-10) में ली गई है। अधिघोषणा प्रकाशन की तिथि 27.11.10 , रकबा मानक माप से कमोवेश -8.98, एकड़ का पूर्व में अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण कर आंशिक रूप से मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। छुटे हुए प्लॉटों का अधियाची विभाग के द्वारा मौजा-बेन्दोजोर (अनुपूरक) हेतु अपेक्षित है। इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई सोशल एक्सन फोर रूरल डेवलपमेंट (SARDA) का छोटकी मुरम रामगढ़ कैंट जिला रामगढ़ द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार - संक्षेप यथा - निम्न है:- उक्त परियोजना के उद्देश्य एवं सार्वजनिक हित लाभ के लिये प्रभावित रैयतो की हितो की रक्षा मे शत् प्रतिशत मुआवजा भुगतान एवं जनसुनवाई के दौरान कुछ सार्वजनिक हितों के कार्यान्वयन हेतु अधियाची विभाग को विशेष प्रबंधन का सुझाव के साथ अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा SIA के अन्तिम प्रतिवेदन को समीक्षोपरान्त अनुमोदित की गई है। चूँकि यह परियोजना सिमडेगा से छत्तीसगढ़ तक जाने एवं तीन प्रखण्डो को जोडनेवाली यह एक महत्वपूर्ण पथ है इस पथ के सुदृढ़ होने से सिमडेगा जिला के पश्चिमी हिस्से की एक बड़े आबादी इससे लाभान्वित हो रही है ,अपेक्षाकृत कम आबादी प्रभावित हो रही है। संबंधित क्षेत्र में सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रगति अवश्यम्भावी है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है । प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है । अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - बेन्दोजोर , थाना न0 - 38, थाना - सिमडेगा, अंचल- सिमडेगा, जिला - सिमडेगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.67 एकड़ यानि 0.6758 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं०	सर्वे भूखण्ड सं०	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ०	द०	पु०	प.०	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	41	107	रैयती	जंगल झाड़ी	0.07	किशोर नायक पिता स्व० कलेश्वर नायक	सडक	नीज 107 अंश	108 अंश	106 अंश	-	-	-	-
2	41	109	रैयती	जंगल झाड़ी	0.35	हेमंत सोरेंग पिता स्व० विश्वास सोरेंग	सडक	नीज 109 अंश	110 अंश	108 अंश	-	-	-	-

3	41	116	रैयती	परती कदीम	0.02	भुज नायक पिता स्व0 मुटरु नायक	सडक	नीज 116	117 अंश	115 अंश	—	—	—	—
4	43	125	रैयती	दोन तीन	0.11	ललिता देवी पति स्व0 सुखदेव नायक	सडक	125 अंश	126 अंश	सडक	—	—	—	—
5	41	262	रैयती	जंगल झाड़ी	0.22	आभास बड़ा वगै0 पिता स्व धनमसीह बड़ा	262 अंश	सडक	277 अंश	266 अंश	—	—	—	—
6	41	267	रैयती	जंगल झाड़ी	0.21	ओलेम डुंगडुंग वगै0 पिता स्व0 इसहाक डुंगडुंग	268 एवं 267 अंश	सडक	266	270	—	—	—	—
7	46	1131	रैयती	दोन दो	0.02	ललिता देवी पति स्व0 सुखदेव नायक	1131 अंश	सडक	नदी 1143	1130	—	—	—	—
8		1375	रैयती	परती कदीम	0.03	उधयानी एक्का	1375 अंश	सडक	1376	1143 नदी	—	—	—	—
9	86	1670	रैयती	टांड दो	0.12	अजीत कुजूर वगै0 पिता स्व0 ईश्वर दास कुजूर	सडक अंश	1670 अंश	1669	1671	—	—	—	—
10	78	1699	रैयती	टांड तीन	0.055	मैजर्स बड़ा पिता अवतार बड़ा	1699 अंश	सडक	1700	1698	—	—	—	—
11	116	1700	रैयती	टांड	0.05	करमा लोहरा पिता स्व0 माहन लोहरा	सडक	1700 अंश	कोचेडेगा सीमान	1699	—	—	—	—
12	116	1700	रैयती	टांड	0.045	दुर्गा लोहरा पिता डेम्बू लोहरा	सडक	1700 अंश	कोचेडेगा सीमान	1699	—	—	—	—
13	116	1700	रैयती	टांड	0.045	हीरा लोहरा पिता डेम्बू लोहरा	सडक	1700 अंश	कोचेडेगा सीमान	1699	—	—	—	—
14	64	1817	रैयती	दोन	0.14	बेन्जामिन तिर्की पिता स्व0 पौलुस तिर्की	सडक	1817 अंश	2189	1824	—	—	—	—
15	189	1828	रैयती	परती कदीम	0.055	होती मिज वगै0 पिता स्व0 सुंदर मिज	सडक	1828 अंश	1827	2170	—	—	—	—
16	187	1843	रैयती	परती कदीम	0.03	फोरतुनातुस मिज	सडक	1843अंश	1841	1844	—	—	—	—
17	165	2170	रैयती		0.10	फोरतुनातुस मिज	सडक	2170अंश	1828	1839	—	—	—	—
कुल रकबा					1.67									

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा -11 (1) के उपबधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि

खोदने या भू-वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति उपायुक्त सिमडेगा के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

कानूनगो,
भू-अर्जन सिमडेगा।

भू-अर्जन पदाधिकारी,
सिमडेगा।

अपर समाहर्ता,
सिमडेगा।

उपायुक्त,
सिमडेगा।

सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन)

अधिसूचना संख्या:-

दिनांक:-

चूँकि झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - बेन्दोजोर , थाना न0 - 38, थाना - सिमडेगा, अंचल- सिमडेगा, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना - सिमडेगा से सेवई - किनकेल - कुरडेग - कुटमाकच्छार - छत्तीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (वर्ष 2009-10) में ली गई है। अधिघोषणा प्रकाशन की तिथि 27.11.10 , रकबा मानक माप से कमोवेश -8.98, एकड़ का पूर्व में अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण कर आंशिक रूप से मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। छूटे हुए प्लॉटों का अधियाची विभाग के द्वारा मौजा-बेन्दोजोर (अनुपूरक) हेतु अपेक्षित है। इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई सोशल एक्सन फोर रूरल डेवलपमेंट (SARDA) का छोटकी मुरम रामगढ़ कैंट जिला रामगढ़ द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार - संक्षेप यथा - निम्न है:- उक्त परियोजना के उद्देश्य एवं सार्वजनिक हित लाभ के लिये प्रभावित रैयतो की हितो की रक्षा मे शत् प्रतिशत मुआवजा भुगतान एवं जनसुनवाई के दौरान कुछ सार्वजनिक हितों के कार्यान्वयन हेतु अधियाची विभाग को विशेष प्रबंधन का सुझाव के साथ अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा SIA के अन्तिम प्रतिवेदन को समीक्षोपरान्त अनुमोदित की गई है। चूँकि यह परियोजना सिमडेगा से छत्तीसगढ़ तक जाने एवं तीन प्रखण्डो को जोड़नेवाली यह एक महत्वपूर्ण पथ है इस पथ के सुदृढ़ होने से सिमडेगा जिला के पश्चिमी हिस्से की एक बड़े आबादी इससे लाभान्वित हो रही है ,अपेक्षाकृत कम आबादी प्रभावित हो रही है। संबंधित क्षेत्र में सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रगति अवश्यम्भावी है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है । प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है । अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - बेन्दोजोर , थाना न0 - 38, थाना - सिमडेगा, अंचल- सिमडेगा, जिला - सिमडेगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.67 एकड़ यानि 0.6758 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ0	द0	पु0	प.0	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	41	107	रैयती	जंगल झाड़ी	0.07	किशोर नायक पिता स्व0 कलेश्वर नायक	सडक	नीज 107 अंश	108 अंश	106 अंश	-	-	-	-

2	41	109	रैयती	जंगल झाड़ी	0.35	हेमंत सोरेंग पिता स्व० विश्वास सोरेंग	सडक	नीज 109 अंश	110 अंश	108 अंश	—	—	—	—	
3	41	116	रैयती	परती कदीम	0.02	भुज नायक पिता स्व० मुटरू नायक	सडक	नीज 116	117 अंश	115 अंश	—	—	—	—	
4	43	125	रैयती	दोन तीन	0.11	ललिता देवी पति स्व० सुखदेव नायक	सडक	125 अंश	126 अंश	सडक	—	—	—	—	
5	41	262	रैयती	जंगल झाड़ी	0.22	आभास बड़ा वगै० पिता स्व धनमसीह बड़ा	262 अंश	सडक	277 अंश	266 अंश	—	—	—	—	
6	41	267	रैयती	जंगल झाड़ी	0.21	ओलेम डुंगडुंग वगै० पिता स्व० इसहाक डुंगडुंग	268 एवं 267 अंश	सडक	266	270	—	—	—	—	
7	46	1131	रैयती	दोन दो	0.02	ललिता देवी पति स्व० सुखदेव नायक	1131 अंश	सडक	नदी 1143	1130	—	—	—	—	
8		1375	रैयती	परती कदीम	0.03	उधयानी एक्का	1375 अंश	सडक	1376	1143 नदी	—	—	—	—	
9	86	1670	रैयती	टांड दो	0.12	अजीत कुजूर वगै० पिता स्व० ईश्वर दास कुजूर	सडक अंश	1670 अंश	1669	1671	—	—	—	—	
10	78	1699	रैयती	टांड तीन	0.055	मैजर्स बड़ा पिता अवतार बड़ा	1699 अंश	सडक	1700	1698	—	—	—	—	
11	116	1700	रैयती	टांड	0.05	करमा लोहरा पिता स्व० माहन लोहरा	सडक	1700 अंश	कोचेडेगा सीमान	1699	—	—	—	—	
12	116	1700	रैयती	टांड	0.045	दुर्गा लोहरा पिता डेम्बू लोहरा	सडक	1700 अंश	कोचेडेगा सीमान	1699	—	—	—	—	
13	116	1700	रैयती	टांड	0.045	हीरा लोहरा पिता डेम्बू लोहरा	सडक	1700 अंश	कोचेडेगा सीमान	1699	—	—	—	—	
14	64	1817	रैयती	दोन	0.14	बेन्जामिन तिर्की पिता स्व० पौलुस तिर्की	सडक	1817 अंश	2189	1824	—	—	—	—	
15	189	1828	रैयती	परती कदीम	0.055	होती मिज वगै० पिता स्व० सुंदर मिज	सडक	1828 अंश	1827	2170	—	—	—	—	
16	187	1843	रैयती	परती कदीम	0.03	फोरतुनातुस मिज	सडक	1843अंश	1841	1844	—	—	—	—	
17	165	2170	रैयती		0.10	फोरतुनातुस मिज	सडक	2170अंश	1828	1839	—	—	—	—	
कुल रकबा					1.67										

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा -11 (1) के उपबधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति उपायुक्त सिमडेगा के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त
सिमडेगा।

ज्ञापांक:-...../भू0अ0, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वार्ड सदस्य/मुखिया – कोचेडेगा ,प्रखण्ड – सिमडेगा को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश है कि पंचायत में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिले के वेबसाईट पर उक्त अधिसूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला गजट के अंक में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त
सिमडेगा।

ज्ञापांक:-...../भू0अ0, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्रचलित दो स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में यथाशीघ्र प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त
सिमडेगा।